न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 45/2008

1/1 रूघनाथ पुत्र मूलाराम मीणा
1/2 बनवारी उर्फ हजारी पुत्र मूलाराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। (दौराने अपील मृतक)
1/2/1 प्रेम देवी पत्नी स्व. बनवारी उर्फ हजारी
1/2/2 सुभाष पुत्र स्व. बनवारी उर्फ हजारी
1/2/3 बुद्धराम पुत्र स्व. बनवारी उर्फ हजारी
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
1/2/4 सुमन पत्नी यादराम पुत्री स्व. बनवारी उर्फ हजारी जाति मीणा निवासी मठ पनीहाला तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
1/3 प्रहलाद पुत्र मूलाराम मीणा
1/4 भागीरथ पुत्र मूलाराम मीणा
1/5 भंवरा पुत्र मूलाराम मीणा
1/6 रामनारायण पुत्र मूलाराम मीणा
1/7 श्रीमती झुमा देवी पत्नी मूलाराम
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
1/8 श्रीमती शान्ति देवी पुत्री मूलाराम पत्नी ओमप्रकाश पुत्र गोरूराम जाति मीणा निवासी ग्राम मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
1/9 श्रीमती नानची देवी पुत्री मूलाराम मीणा पत्नी भागीरथ पुत्र बनवारी जाति मीणा निवासी ग्राम मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
1/10 सुप्यार देवी पुत्री मूलाराम पत्नी हरिराम पुत्र शीशराम जाति मीणा निवासी ग्राम कुशलपुरा जिला सीकर।
2 मन्नाराम पुत्र करणाराम जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (मृतक)।
2/1 सुवालाल मीणा पुत्र स्व. मन्नाराम
2/2 जगदीशप्रसाद मीणा पुत्र स्व. मन्नाराम
जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

3 मालाराम पुत्र करणाराम जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। (दौरान अपील मृतक)
3/1 छोटी देवी पत्नी स्व. मालाराम
3/2 महेश पुत्र स्व. मालाराम
3/3 श्रवण पुत्र स्व. मालाराम
3/4 दिनेश कुमार पुत्र स्व. मालाराम
जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/5 सुशीला पुत्री स्व. मालाराम पत्नी सन्जु
3/6 शारदा पुत्री स्व. मालाराम पत्नी घोलूराम
समस्त जाति मीणा निवासीगण रसियां की ढाणी तन गुढा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 प्रभात पुत्र करणाराम जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (दौरान अपील मृत्यु)
4/1 चूकी देवी पत्नी स्व. प्रभातराम
4/2 रामावतार पुत्र स्व. प्रभातराम
4/3 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. प्रभातराम
4/4 गोकुलचन्द पुत्र प्रभातराम
4/5 झाबरमल पुत्र स्व. प्रभातराम
4/6 सुभाष चन्द पुत्र स्व. प्रभातराम
जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1 श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी स्व. शिशपाल जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (दौराने अपील मृत्यु)

1/1 सांवरमल पुत्र गुलाबी देवी व शिशपाल जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

1/2 बनवारीलाल पुत्र गुलाबी देवी व शिशपाल जाति मीणा निवासी ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

1/3 श्रीमती शान्ति देवी पुत्री गुलाबी देवी पत्नी जीवणराम जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2008 दावा नम्बर 68/97 एसडीओ महोदय नवलगढ़ उनवानी दावा मु.गुलाबी बनाम रघुनाथ आदि।

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 2.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 68/97 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ ने निर्णय दिनांक 29.05.2008 द्वारा ग्राम टोडपुरा में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 990 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1079 रकबा 1.94 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1732/952 रकबा 0.35 हैक्टेयर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा अपीलान्टस से उपरोक्त भूमियों का कब्जा रेस्पोडेन्टस को दिलवाये जाने की आज्ञा पारित की है तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने दावा उद्घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, बेदखली का कोई वाद नही था जबकि दावा दायरी के 30 वर्ष पूर्व ही अपीलान्टस अपने बुजुर्गो के समय से वादास्पद भूमि पर काबिज है फिर भी अपीलान्टस को वादास्पद भूमियों से बेदखली की आज्ञा पारित कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जबकि कानूनन हर तनकी का निर्णय किया जाना आवश्यक है। तनकी संख्या 2,3,4,5,6 बाबत कोई विवेचन अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है न ही कोई फाईण्डिग दी है न ही अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत जुबानी व दस्तावेजी साक्ष्य बाबत अपने निर्णय में उल्लेख किया है तथा अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वे क्यो संतुष्ट नहीं है, इसका कोई विवेचन नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती गुलाबी ने साक्ष्य में जो शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है उसकी मद संख्या 5 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1732/952 रकबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झनूं)

0.35 हैक्टेयर पर कब्जा मालाराम नारायण राम पुत्रगण मंगला मीणा का है। माला के फोत होने के बाद उसके वारिसान कुरडा आदि का इस पर कब्जा काश्त है फिर भी हम हमारा हक उनके पक्ष में छोड़ते है परन्तु यह जमीन उन्हें नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में यह जमीन हम हमारी ले लेगें उल्लेखनीय होगा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न तो कुरडाराम व मालाराम नारायणराम पुत्रगण मंगला मीणा को पक्षकार बनाया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जे के अभाव में बिना कब्जे की इश्तदुआ किए वाद प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है तथा शपथ–पत्र की मद संख्या 8 में विरोधाभाषी कथन करती हुई खसरा नम्बर 1732/952 रकबा 0.35 हैक्टेयर को स्वयं के नाम से करवाना चाहती है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कब्जे के अभाव में बिना कब्जे के पारिणामिक अनुतोष चाहे वाद प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट की डबलू 1 अपने सशपथ बयानो में जिरह में यह स्वीकार करती है कि हणमान के नाम की सारी जमीन अपीलान्टस ही काश्त करते है तथा हणमान को मरे चालीस वर्ष हो गये तथा हणमान की जमीन में अपीलान्टस ने अलग अलग रिहायस बना रखी है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस का कब्जा विवादित भूमि पर 60 सालो से भी अधिक समय से निरन्तर निर्वाध रूप से चला आ रहा है तथा एडवर्स पजेसन के कानूनन के अन्तर्गत भी अपीलान्टस को बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहान कुरडाराम भेरूराम रामेश्वर ने अपीलान्टस का कब्जा काश्त पुराना स्वीकार किया है तथा गवाह भेरूराम जिरह में यह स्वीकार करता है कि हणमान की जमीन पर कब्जा अपीलान्टस का है। इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट गुलाबी ने कभी भी मृतक हणमान की वादस्पद कृषि भूमियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोार नहीं है। वह अपने पिता जीताराम के खेत में कुवा बनवा कर आबाद है तथा वहीं पर उसकी जमीन काश्त करती है हणमान के वास्तविक वैध उत्तराधिकारीगण अपीलान्टस प्रभात मूलाराम मन्नाराम व मालाराम है जो पन्नाराम के सगे भाई गटू के लड़के करणाराम के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

पुत्र है तथा जीवण पर्यनत हणमान अपीलान्टस के ही शामिल शरीक रहा है। अपीलान्टस व करणाराम ने ही हणमान की सेवा सुश्रुषा की व हणमान की जमीन काश्त की तथा हणमान की भी अन्तिम इच्छा यही थी कि उसकी जमीन उसकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट को मिले तथा अपीलान्टस हणमान की उपर वर्णित वादास्पद भूमियों में ही अलग अलग गुवाड़िया बनाकर आवास करते है तथा हणमान की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी तथा नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में सही तौर पर भर गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुलाबी का वादास्पद भूमियों पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही वह हणमान की वारिश है उसे विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुति का कोई कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं था। अनुसूचित जनजाति मीणा समुदाय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(1) एससी पेज 137, पेज बीओआर 602, आरआरटी 2014(2) एचसी पेज 901, आरआरटी 2006 (2) एचसी पेज 1085, आरआरटी 2007 (1) पेज 723, आरआरटी 2003(1) पेज 709, एआईआर 2016 राज. पेज 89 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वंशावली के अनुसार पन्नाराम के दो पुत्र हुये जो क्रमशः जीताराम व हणमान हुए जीताराम के देहान्त होने पर जीताराम की सम्पत्ति बेवा भगवती व हणमान भाई के बराबर आई व हणमान के देहान्त होन पर पुत्री सम्पत्ति भगवानी बेवा जीताराम के नाम से आई व भगवानी के देहान्त के बाद में पुरी सम्पत्ति स्व. जीताराम व स्व. हणमान की सम्पत्ति अकेली गुलाबी (वादिया) के नाम से आई जो कि आज भी कायम है व किसी भी अदालत में इसको चेलेज नहीं किया गया है। जो कि अन्तिम है। स्व. जीताराम व हणमान की काश्त की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1080, 1175, 1176, 1179, 1189, 1192 कुल किता 6

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

कुल तादादी 6.15 हैक्टेयर भूमि अकेली गुलाबी (वादिया) के नाम से है। इसका कोई विवाद नहीं है। स्व हणमान पुत्र पन्ना की अकेले की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 516 तादादी 14 बीघा 8 बिश्वा थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 990 तादादी 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1079 तादादी 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1732/952 तादादी 0.35 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल किता तादादी 3.19 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टोडपुरा में स्थित है। स्व हणमान के देहान्त के बाद मे नामान्तकरण संख्या 302 पटवारी हल्का से साज करके प्रतिवादीगण के नाम से भरा था उक्त नामान्तकरण को गिरदावर की जांच पर तहसीलदार ने खारिज कर दिया था व प्रतिवादीगण को हणमान का पुत्र नहीं माना था। दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को हनुमान का वारिस ना होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में हणमान की अन्तिम काल में इच्छा के कारण यह जमीन प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 के नाम से आई है परन्तु इस बाबत प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य नहीं है। ना ही कोई दस्तावेजात है। शहादत वादीगण में पी.डब्लु 1 अपने दावे को साबित किया है– प्रतिवादीगण मुला, मना व माला को म्हादु का पुत्र होना व प्रभात को कारण का पुत्र होना स्वीकार नहीं है व यही भी स्वीकार करती है कि स्व. जीताराम व स्व हणमान की वह एक मात्र वारिस है व जमाबंदी सम्वत 2030 से 33 में जमीन जैर बहस गत खसरा नम्बर 516 तादादी 14 बीघा 8 बिश्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 990, 1079, 1732/952 स्व. हणमान की खातेदारी में दर्ज है व नामान्तकरण संख्या 302 हणमान के वारिस के रूप में प्रतिवादीगण के नाम पटवारी ने भरा था जिसे गिरदावर हल्का की जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने खारिज कर दिया व नामान्तकरण संख्या 376 हणमान के फौत होने पर तस्दीक हो चुका था तो दुसरा नामान्तकरण भरनें की आवश्यकता ही नहीं थी सेटलमेंट को केवल गत जमाबन्दी की ही नकल करनी थी केवल माप व खसरा नम्बर ही नये बनाये थे परन्तु सेटलमेंट ने इस बाबत गौर ना कर प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने में गलती की है व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

सीपीसी से पत्रावली संख्या 20/2000 के आदेशिका दिनांक 15.03.2003 में वादग्रस्त आराजी पर मौके पर निर्माण कार्य प्रतिवादीगण द्वारा चालु होना बताया है इससे यह साबित है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी में निर्माण व कब्जे का रिकार्ड बनाया है। शहादत प्रतिवादी में गवाह रघुनाथ जो कि प्रतिवादी है ने जिरह में स्वीकार किया है कि हनुमान व जीता दो भाई थे उनके पिता का नाम पन्नाराम था भगवती जीता की पत्नी व गुलाब देवी की मां होना स्वीकार करता है व यह भी स्वीकार करता है कि गुलाब देवी हनुमान की भतीजी है व यह भी स्वीकार करता है कि हनुमान व सीता की शामलाती खाते की जमीन गुलाबी के पास है जिसका झगड़ा नहीं है व हनुमान के अकेले खाते की जमीन का झगड़ा है। गवाह मन्नाराम अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि यह सही है कि मेरे पिता का नाम म्हादु है व मुला, माला व मना के बाप का नाम म्हादु है। यह भी सही है कि म्हादु के मरने के बाद मेरी मां सुगनी के करणा की चुड़ी पहन ली थी व चुड़ी पहनने के बाद प्रभात पैदा हुआ व विवादित जमीन के सटकर के ही प्रतिवादीगण की जमीन होना व पहले दोनों जमीनों के मध्य सीमा होना व बाद में सीमा हटाना स्वीकार करता है व शपथ पत्र पढ़कर के नहीं सुनाया व ना ही स्वयं ने लिखवाया कहता है। गवाह प्रभात जो कि स्वयं प्रतिवादी है ने अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि करणाराम मेरा जाइन्दा पिता था मै मेरे चाचा हनुमान के गोद चला गया था गोद की लिखापढी मेरे पास नहीं है। गोद में अकेला ही नहीं बल्कि हम चार भाई मूला, मना, माला व मैं खुद हणमान के गोदं गये थे यह सही है कि हम चारों के पास गोद की लिखापढ़ी नहीं है। जीताराम व हनुमान के शामलाती खाते की जमीन गुलाबी के नाम से है व खसरा नम्बर 1080, 1175, 1176,1189, 1192 कुल किता 6 हमारे गांव में ही है वह जमीन गुलाबी काश्त करती है। यह भी सही है कि इस जमीन का कोई झगड़ा नहीं है व हनुमान के खाते की अकेले कि जमीन का झगड़ा है यह भी सही है कि हमारी पीढीयों से चली आ रही जमीन हम चारों भाईयों के नाम से दर्ज है। जिसमें हमारे पिता का नाम, करणा दर्ज है। यह भी सही है कि विवादित जमीन पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हमें निर्माण ना करने से पाबन्द कर रखा है व विवादित जमीन का मौका देखने पटवारी व कमिश्नर कई बार गये है। विवादित जमीन के सटकर के हमारी पुश्तैनी जमीन है। यह भी सही है कि हम गोद की आड़ में ही विवादित जमीन को काश्त करते है व गुलाबी व हमारे मध्य पहले काफी प्रेम व्यवहार था गुलाबी व हमारे मध्य झगड़ा 10–12 साल से है पहले कोई झगड़ा नहीं था। मालाराम प्रतिवादी स्वयं ने अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि स्व. जीताराम व हनुमान के ओर कोई सगा भाई नहीं था व हनुमान के कोई सन्तान नहीं थी व गुलाबी देवी हनुमान की सगी भतीजी है। हमने विवादित जमीन व हमारी पैत्रिक जमीन के मध्य सीमा मिटा दी है। यह भी सही है कि विवादित जमीन में दोनों गुवाड़िया 2003 में बनाई है। प्रतिवादी के स्वतंत्र गवाह रामचन्द्र अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि जीता व हणमान दोनों भाई थे पन्ना के बेटे थे व भागोती व गुलाबी साथ ही रहती थी इसे भी स्वीकार करता है। झगड़े वाली जमीन के बाबत कुछ भी नहीं कहता है। प्रतिवादी के स्वतन्त्र गवाह घीसाराम स्वीकार करता है कि– शपथ पत्र मैंने नहीं लिखवाया है व ना ही मुझे पढ़कर सुनाया है। शपथ पत्र में क्या लिखा है मै नहीं जानता विवादित जमीन में प्रतिवादीगण ने तीन वर्ष पूर्व ही गुवाड़ी बनवाई थी शपथ पत्र में 10–12 साल पहले मकान बनाये हो गलत है। झगड़े वाली जमीन में 3–4 साल पहले ही प्रतिवादीगण ने मकान बनाये है तब पटवारी व कोर्ट से वकील मौका देखने गये थे। इस प्रकार प्रस्तुत शहादत पर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर स्व. हनुमान के फौत होने पर हनुमान की भूमि का नामान्तकरण 276 दिनांक 06.10.77 को भरा जाकर भगवती के नाम तस्दीक किया गया है व विवादित भूमि का नामान्तकरण सख्या 302 दिनांक 18.11.78 को पुनः भरा गया जिसमें हनुमान की मृत्यु पर प्रतिवादीगण के नाम से भरा गया था जिसे गिरदावर हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में विरासत सहित नहीं दर्ज करने का नोटिस अंकित किया जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने नामान्तकरण को खारिज कर दिया। सैटलमेंट विभाग द्वारा नई पैमाईश में बिना आधार हनुमान की विरासत प्रतिवादीगण के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नाम दर्ज कर नया राजस्व रिकार्ड कायम कर दिया जो गलत है। जब हनुमान की भूमि नामान्तकरण भागोती के नाम स्वीकार हुआ था व भागोती की मृत्यु नियमानुसार स्व. भागोती की बेटी गुलाबी के नाम दर्ज हुआ था अब प्रतिवादीगण ने भुप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत बिना अधिकार क्षेत्र के खातेदारी दी गई जिसका ऐसा करने का कोई आधार नहीं था। इस प्रकार से तनकी संख्या 1, 2 व 3 वादीगण के हक में साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2023 पेज 332 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादिया ने ग्राम टोडपुरा की भूमि खसरा नम्बर 990, 1089, 1732/952 की खातेदारी की उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्ती का दावा लेकर आई है। वादिया का कथन है कि वादिया के दादा पन्नाराम के दो पुत्र जीता व हणमान हुये हणमान नाऔलाद फौत हो गया। जीता के पत्नी भगवती एंव पुत्री वादिया हुई। जीता के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1080, 1175, 1176, 1179, 1189, 1192 जीता की मृत्यु पर भगवती के नाम दर्ज हुई भगवती की मृत्यु पर वादिया के नाम दर्ज हुई है। इस भुमि का कोई विवाद नहीं है। जीता के भाई हणमान के नाम खसरा नम्बर 990, 1082, 1732/952 के गत खसरा नम्बर 516 दर्ज थे। हणमान नाऔलाद फोत हुआ है। उसके कोई पुत्र नहीं है। वादिया हणमान के भाई जीता की एकमात्र पुत्री होने के कारण हणमान की भूमियों की खातेदारी की घोषणा करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से साजिश करके दिनांक 18.11.1978 को हणमान के वारिसान के रूप में गत खसरा नम्बर 516 का नामान्तकरण भरवाया था। जो बाद जांच खारिज कर दिया गया था इसके उपरांत प्रतिवादीगण ने भू–प्रबंध से साज कर गलत रिकार्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

दर्ज करवा लिया। वादिया द्वारा यह वाद दिनांक 30.04.1997 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण वादिया के दादा पन्नाराम के भाई गुटटू के लड़के करणाराम के वारिसान है। हणमान की विरासत एवं भूमियों को प्रतिवादीगण हणमान की मृत्यु के उपरांत ही काश्त करते आ रहे है। वादिया अपने पिता जीताराम की विरासत प्राप्त करने की ही अधिकारी है। जीताराम की भूमियों की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज है। विवादित भूमियों का प्रतिवादीगण के नाम दिनांक 18.11.1978 को नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादिया का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

विचारण न्यायालय में कुल 7 तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि में हणमान की विरासत वादिया के हक में मानते हुये वाद वादी डिक्री किया गया है। इस संदर्भ में अपीलांट की प्रमुख आपत्ति है कि अनुसूचित जनजाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादिया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की विरासत की श्रेणी के अनुसार उत्तराधिकार में खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट ने माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2023 पेज 332 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को अधिकार होने का कथन किया है।

इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023(1) पेज 137 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि **Hindu Succession Act, 1956-Section 2(2)-Land Acquisition Act, 1894-Section 30 and 4-Acquisition of land-Dispute about the apportionment of compensation amount Rs. 5,97,35,754 /- Appellants belongs to Scheduled Tribe and being the daughters of Chakradhar claimed 1/5th share in the**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

compensation amount-Reference Court rejected the claim since the Hindu Succession Act is not applicable in view of Section 2(2)-Daughters cannot claim the share in the compensation amount-high Court Affirmed the judgment-Appellants cannot calim any right in the property of the father unless the amendment is made in Section 2(2)-Held, Appeal dismissed with the directions to the Government. इसी प्रकार आरआरटी 2014(2) पेज 901 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि Code fo Civil Procedure, 1908-Sec. 100-Suit for cancellation of sale deed & permanent injunction dismissed on the ground that the appellant is a married woman & belonged to Meena community & not entitled to inherit her father's property-Case is based on question of facts-No substantial question of law involved in the appeal & liable to be dismessed. इन न्यायिक दृष्टातों से यह स्पष्ट है कि मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला पिता की सम्पत्ति में हकदार नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल का न्यायिक दृष्टांत सर्वोपरि नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपने पिता की विरासत का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपने पिता के भाई हणमान के नाऔलाद फोत होने का अंकन कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा का दावा किया है। उपरोक्त अंकित न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में वादिया का वाद विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विधि के प्रश्न पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर